न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 108/2024

उनवान

1. हनुमान सिंह पुत्र बाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
— — अपीलांट :– जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सनोद प.स. श्रीनाग, अजमेर।
2. गोपाल कंवर पुत्री बाल सिंह पत्नी दातार सिंह जाति राजपूत नि. सनोद, नसीराबाद
3. सदा कंवर पुत्री बाल सिंह पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत नि. सनोद, नसीराबाद
4. घीसू कंवर पुत्री बाल सिंह पत्नी भोपाल सिंह जाति राजपूत सनोद, नसीराबाद
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

— — रेस्पोडेन्टस :– 1 अनुपस्थित
2 से 4 जरियें अधिवक्ता श्रीमती ममता डाबरिया
5 जरियें राज0 पेरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत सनोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.24 नामान्तकरण संख्या 1878 के द्वारा पंचायत द्वाराअस्वीकृत करने के अदेश के विरु. अपील बाबत।

दिनांक :– 10/7/24

–: आदेश :–

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के खाता संख्या 216/673 किता 19 रकबा 0.253, 220/687 किता 3 रकबा 0.74 व खसरा नम्बर 3559/6190 रकबा 0.04 की आराजी अपीलांट की पुश्तैनी है। उक्त आराजी में दर्ज खातेदार चांद कंवर पत्नी बाल सिंह की मृत्यु हो गयी है। चांद कंवर की विरासत का नामान्तकरण गोपाल कंवर व हनुमान सिंह के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 1878 दिनांक 15.03.24 को निरस्त किया गया। उक्त नामान्तकरण में रेस्पोडेनट संख्या 3 व 4 का नाम दर्ज किया जाना था। किन्तु उनका नाम सहवन से दर्ज करने से रह गया, जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण निरस्त किया गया। अतः उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर आराजी मुतनाजा पर अपीलाट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज किया जावे।

अपीत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर अपीलाट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर कि[illegible]

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन कि[illegible] [illegible]ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 एवं राज. पैरोकार के तर्को पर मनन किया। आराजी मुतनाजा [illegible] में चांद कंवर पत्नी बाल सिंह व अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। चांद कंवर की मृत्यु हो गयी है। चांद कंवर के पति बाल सिंह की दो पत्नी थी। बाल सिंह की दोनो पत्नी का नाम [illegible] कंवर है। अपीलांट द्वारा

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:16:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रस्तुत शजरा प्रमाण पत्र के अनुसार बाल सिंह के 4 संतान हुयी। शजरे से स्पष्ट नही है कि कौन सी संतान कौन सी पत्नी की है साथ ही दोनो पत्नी का नाम भी चांद कंवर ही है। पूर्व में प्रश्नगत नामान्तकरण हनुमान सिंह व गोपाल कंवर के नाम दर्ज किया गया था जिसे ग्राम पंचायत सनोद द्वारा निरस्त किया गया। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 ने अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुये बाल सिंह के सभी वारिस के नाम विरासत दर्ज करनें की स्वीकारोक्ति पेश की है। जबकि चांद कंवर की विरासत उसके जायन्दा वारिसों के नाम ही दर्ज करनी है। किन्तु दोनो पत्नी का नाम समान हाने के कारण ग्राम वपंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण खारिज किया गया। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस कें हित आराजी मुतनाजा में निहित है। प्रकरण में चांद कंवर पत्नी बाल सिंह के विधिक वारिस की विस्तुत जॉच आवश्यक है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना गहन जॉच किये उक्त नामान्तकरण अस्वीकृत किया है।

अतः अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम पंचायत सनोद द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1878 दिनांक 15.03.24 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त नामान्करण पर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नवीन निर्णय पारित करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:16:14 IST
Reason: SelfAttested